# बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
**Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com**

**अध्यक्ष,**
* **सुशील कुमार**
मो.– 9431091417, 7004466338
Email:shushilkumar09@gmail.com

**महासचिव,**
* **खुर्शीद अनवर सिद्दिकी**
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 14 दिनांक 27-7-2019

सेवा में,

**माननीय मुख्यमंत्री,**
बिहार सरकार।

**विषय :– प्रोन्नति पर रोक हटाने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक दिनांक–14.07.2019 को केन्द्रीय कार्यकारणी, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की हुई बैठक में सरकार द्वारा प्रोन्नति पर रोक लगाये जाने पर सदस्यों द्वारा काफी रोष प्रकट किया गया है।

ज्ञातव्य है कि सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक–11218, दिनांक–12.08.2014 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदाधिकारियों (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई थी जबकि माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–19114/2012 में प्रोन्नति स्थगित रखने का कोई आदेश नहीं था।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक–4800, दिनांक–01.09.2016 द्वारा उपरोक्त कंडिका (1) में वर्णित निर्गत ज्ञापांक–11218, दिनांक–12.08.2014 को वापस लेते हुए प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

3. दिनांक–12.08.2014 को प्रोन्नति पर लगी रोक दिनांक–01.04.2016 को प्रारम्भ होने के बीच की अवधि, करीब 1 वर्ष 8 माह, में बहुत सारे पदाधिकारी सेवा निवृत हो गये जो प्रोन्नति से वंचित रह गये एवं उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा, इस प्रकार पेंशन में भी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है।

इस संदर्भ में संघ ने मांग रखी थी कि वास्तविक रिक्ति की तिथि से उन्हें प्रोन्नति देते हुए वित्तीय क्षति की प्रतिपूर्ति की जाय लेकिन इस बिन्दु पर सामान्य प्रशासन द्वारा कोई विचार नहीं किया गया।

4. सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्गत पत्र सं0–4020, दिनांक–26.03.2018 में वर्णित है कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–7603/2016, सुशील कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–13.11.2017 को पारित आदेश के द्वारा विभागीय परिपत्र सं0–4800, दिनांक–01.04.2016 को रद्द कर दिया गया, जिसके आलोक में राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति का मार्ग अवरूद्ध हो गया। इस आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष एल0पी0ए0 सं0–173/2018 दायर किया गया है। साथ ही एक अन्य वाद एल0पी0ए0 सं0–258/2018, योगेश्वर पाण्डेय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य भी दायर किया गया, जिसमें दिनांक–20.03.2018 को सुनवाई करते हुए सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–7603/2016 में दिनांक–13.11.2017 को पारित आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।

सम्यक् विचारोपरान्त एल0पी0ए0 सं0–173/2018, राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार एवं अन्य तथा इससे सम्बद्ध एल0पी0ए0 सं0–258/2018, योगेश्वर पाण्डेय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक–20.03.2018 को पारित आदेश के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में अवरूद्ध की गई प्रोन्नति की प्रक्रिया एवं विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक को विभागीय परिपत्र सं0–4800, दिनांक–01.04.2016 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पुनः आरम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र ज्ञापांक–9706, दिनांक–20.07.2018 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–4800, दिनांक–01.04.2016 एवं परिपत्र सं0–4020, दिनांक–26.03.2018 को संशोधित कर प्रोन्नति हेतु आरक्षित से आरक्षित एवं गैर आरक्षित से गैर आरक्षित सम्बंधी नया दिशा निर्देश जारी किया गया।

6. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र ज्ञापांक–5066, दिनांक–11.04.2019 द्वारा एम0जे0सी0 सं0–2847/2018, एम0जे0सी0–2696/2018 एवं सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–14907/2018 में दिनांक–01.04.2019 को पारित आदेश के आलोक में राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जाने वाली सभी प्रोन्नतियाँ एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई। जबकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक–01.04.2019 में प्रोन्नति पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है वशर्ते आदेश है कि **"The state of bihar if it desires to proceed with any further promotion, it will have to seek prior orders either from the Apex Court or seek leave of this court."**

7. दिनांक–11.04.2019 को प्रोन्नति पर रोक के उपरान्त पुनः पदाधिकारी बगैर प्रोन्नति पाए सेवा निवृत हो रहे हैं जिन्हें प्रोन्नति के साथ–साथ वित्तीय नुकसान भी हो रहा है। साथ ही प्रोन्नति नहीं होने से पदाधिकारियों का मनोबल गिरता जा रहा है। प्रोन्नति नहीं होने से मूल कोटि में पदाधिकारियों की बहुतायात संख्या हो गई है जिन्हें वाहन, बैठने इत्यादि की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है।

उपरोक्त वर्णित परिपत्रों में संघ का विनम्र निवेदन है कि :–

**(i) प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु सम्बंधित को निदेश देने की महत्ती कृपा की जाय।**

**(ii) प्रोन्नति पर रोक के फलस्वरूप प्रोन्नति में बिलंब होने के कारण यह आवश्यक है कि रिक्ति की तिथि से पदाधिकारियों को प्रोन्नति दी जाय या नुकसान की भरपाई हेतु राज्य के पदाधिकारियों के हित के लिए राज्य के पदाधिकारियों की सेवा निवृति को 60 वर्ष से बढ़ा कर 65 वर्ष कर दी जाय।**

27/7/19

**(खुर्शीद अनवर सिद्धीकी)**
**महासचिव**

27/7/19

**(सुशील कुमार)**
**अध्यक्ष**

**प्रतिलिपि** :–सम्पादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/7/19

**(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)**
**महासचिव**